

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय॥सीपीसी॥ की बैठक सं० 5/2000 दिनांक 11-1-2000 को सायं 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

समिति के निम्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया :-

- 1- श्री के.पी. सिंघल, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
- 2- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक ॥वित्त॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक ॥आयोजना॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री जी.पी. पाण्डे, निदेशक ॥विधि॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक ॥अभियंत्रिकी॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 6- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक॥सीपीसी॥ जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

- 1- श्री नवल किशोर शर्मा, अति०आयुक्त॥भूमि॥/॥समन्वय॥जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक॥एम.पी.॥जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री आर.सी. शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी, जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री सुरेश गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री डी.एन. पाण्डे, उपायुक्त, जोन सी-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 6- श्री वी.के. जैन, उपायुक्त, जोन- डी, जविप्रा, जयपुर ।
- 7- श्री नीरज तिवारी, उप नगर नियोजक॥बीपीसी-1॥जविप्रा, जयपुर ।
- 8- श्री प्रेमशंकर, सहायक नगर नियोजक॥सीपीसी॥ जविप्रा, जयपुर ।
- 9- श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक॥सीपीसी॥जविप्रा, जयपुर ।
- 10- श्री प्रभात गोस्वामी, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

॥1॥ बीपीसी-1॥सीपीसी॥ की बैठक सं० 4/2000 दिनांक 10-1-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

॥2॥ विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निष्पत्ति लिये गये :-

2.1- एजेण्डा सं० 5/2000-1 :- शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति

के भूखण्ड सं० 42 से 49 की गहराई मौके के अनुसार और समिति द्वारा जारी किये गये पट्टों के अनुसार 60 फिट है जबकि अनुमोदित मानचित्र में इन भूखण्डों की गहराई 50 फिट अंकित की गयी है। बाद विचार-विमर्श निरूपित किया गया कि इन भूखण्डों के सामने सड़क की पूर्ण निर्धारित चौड़ाई 30 फिट कायम रखते हुए मौके और समिति के पट्टे के आधार पर 60 फिट गहराई तक का नियमन कर दिया जाये।

- 2- भूखण्ड सं० 136, 137 और 137 ए जो अनुमोदित मानचित्र में अस्वीकृत दिखाये गये है को इस शर्त के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया कि इन 3 भूखण्डों को एक ब्लॉक मानकर इस ब्लॉक के चारों तरफ निर्धारित स्टैक बैक रखते हुए इनके साईट प्लान जारी किये जाये।
- 3- भूखण्ड सं० 167 जो अनुमोदित मानचित्र में अस्वीकृत किया हुआ है, के उस हिस्से को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया जो 100 फिट की सड़क से बाहर है।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय सी पी सी  
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: एफ-11/14/जविप्रा/वननि/सीपी/05/2000/डी-20

दिनांक : 12/1/2000

प्रतिलिपि :-

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
- 3- निदेशक आयोजना विधि/वित्त/अभियंत्रिकी जविप्रा, जयपुर।
- 4- अतिआयुक्त भूमि एवं योजनाएं/समन्वय जविप्रा, जयपुर।
- 5- वरिष्ठ नगर नियोजक एम.पी. जविप्रा, जयपुर।
- 6- उपायुक्त, जोन ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3, सी-1, सी-2 एवं "डी" जविप्रा, जयपुर।
- 7- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,